प्रेषक

उपायुक्त, फतेहाबाद।

सेवा में

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
चण्डीगढ।

क्रमांकः 1117 /एल.एफ.ए. दिनांकः 16.4.2019

विषयः ATR in compliance of Solid Waste Management Rule, 2016 as per the Directions passed by Hon'ble NGT in OA No. 606/2018, dated 06.03.2019.

उपरोक्त विषय पर माननीय एन.जी.टी. के OA No. 606/2018 दिनांक 06.03.2019 में पारित आदेशों की पालना में जिला स्तर पर गठित स्पैशल टास्क फोर्स कमेटी की दिनांक 16.04.2019 को हुई बैठक की कार्यवाही व नगरपरिषद्/नगरपालिकाओं से प्राप्त प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रोफार्मा में आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सलंग्नः उपरोक्तानुसार।

उपायुक्त, फतेहाबाद।

पृ0क्रमांकः 1118-20 /एल.एफ.ए. दिनांकः 16.4.2019

इसकी एक प्रति निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. आयुक्त, हिसार मण्डल, हिसार।
2. महानिदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा, पंचकुला।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, हिसार।

उपायुक्त, फतेहाबाद।

दिनांक 16.04.2019 को सायं 03.00 बजे उपायुक्त, फतेहाबाद की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में ठोस कचरा प्रबंधन के तहत गठित स्पेशल टास्क फोर्स कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लियाः–

---

1. श्री राहुल मित्तल, ह.ना.से., नगराधीश, फतेहाबाद।
2. डा. जयवीर यादव, ह.ना.से. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परषिद्, फतेहाबाद।
3. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, फतेहाबाद।
4. कार्यकारी अधिकारी, नगरपरिषद् टोहाना।
5. सचिव, नगरपालिका रतिया।
6. सचिव, नगरपालिका जाखल मण्डी।
7. सचिव, नगरपालिका भूना।
8. श्री मनीराम, लेखा अधिकारी, नगरपरिषद्, फतेहाबाद।
9. श्री अप्रेनेस कुमार, एस.सी.(बी.), राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, हिसार।
10. श्री पंकज ढाण्डे, पालिका अभियन्ता, नगरपरिषद् फतेहाबाद।
11. श्री सुबेर सिंह, पालिका अभियन्ता, नगरपालिका रतिया।
12. श्री सुखविन्द्र पाल, कनिष्ठ अभियन्ता, नगरपरषिद्, फतेहाबाद।
13. कुमार सौरभ, परियोजना प्रबंधक, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), फतेहाबाद।

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय द्वारा एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेशों की पालना में दिनांक 02.04.2019 को हुई बैठक में लिए गए निर्णयों बारे विस्तारपूर्वक विचारविमर्श किया तथा लम्बित कार्यो को तुरन्त प्रभाव से पूर्ण करवाए जाने बारे निर्देश दिए। अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचित किया कि दिनांक 06.04.2019 को माननीय मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार की अध्यक्षता में पीपली (कुरूक्षेत्र) में एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेशों की पालनार्थ एक वर्कशाप का आयोजन किया गया था। इस वर्कशाप में माननीय मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार द्वारा उपस्थित सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि जिला स्तर पर गठित स्पैशल टास्क फोर्स कमेटी की हर 15 दिन के अन्तराल में बैठक का आयोजन करके पाक्षिक प्रगति रिपोर्ट सरकार को भिजवाएं। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से भेजी जानी वाली रिपोर्ट बारे विस्तृत रूप से विचार विमर्श करने उपरान्त जिला स्थित नगरपरिषद्/नगरपालिकाओं को निर्देश दिए कि निम्नलिखित सभी बिन्दुओं पर रिपोर्ट तैयार करके रिपोर्ट आज ही उपलब्ध करवाई जाये।

1. **रेग पिकर** – सभी पालिकाओं में रेग पिकर की पहचान करके पहचान पत्र बनवाएं जाए।

2. **युजर कलैक्शन**– डोर–टु–डोर घरों से कुड़ा एकत्रित करने के लिए नगरपरिषद्/नगरपालिका द्वारा निर्धारित दरों अनुसार शुल्क लिए जाने बारे निर्देश दिए गए।
3. **पुलिस सहायता देने बारे**– पालिकाओं द्वारा चालान करते समय दो पुलिस कर्मी की सहायता उपलब्ध करवाने बारे पुलिस अधीक्षक से पत्राचार करने बारे निर्णय लिया गया।
4. **अन्य वाहनों की मांग बारे** – अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में निर्देश दिए गए कि जिन पालिकाओं को इस कार्य हेतु अतिरिक्त वाहनों की आवश्यकता है तो वह अपनी मांग उपायुक्त कार्यालय में भिजवाएं।
5. **जी.वी.पी. चिन्हित करने बारे** – अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि जो स्थान नगरपरिषद्/नगरपालिका द्वारा कुड़ा फैंकने के लिए चिन्हित नही है, लोग खाली प्लाटों में कुड़ा फैंक देते हैं। इस बारे अध्यक्ष महोदय द्वारा स्थान चिन्हित करने तथा उनकी सफाई करने बारे निर्देश दिए गए।
6. **ग्रीन वेस्ट कम्पोस्ट** – इस बिन्दु बारे अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी पालिकाओं को निर्देशित किया गया कि अपने–2 क्षेत्र में पार्कों में कम्पोस्टिंग पिट बनाना सुनिश्चित करें ताकि वहां से निकलने वाली पतियां एवं शाखाओं से कम्पोस्ट बनाई जा सके।
7. **जी.पी.एस. टैन्डरिंग** – इस बिन्दु बारे सभी पालिकाओं को निर्देशित किया गया है कि वह अपने सभी वाहनों में जी.पी.एस. लगवाने हेतु ई–निविदाएं आमन्त्रित करने की कार्यवाही अमल में लाएं।
8. **मैकेनिकल स्वीपिंग** – सभी पालिकाओं को निर्देशित किया गया है कि जिन पालिकाओं को रोड़ सफाई हेतु मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन की आवश्यकता हो तो उसके लिए वह अपना मांग पत्र भिजवाएं।
9. **इलैक्ट्रिक वाहनों की खरीद बारे** – अध्यक्ष महोदय द्वारा पालिकाओं को निर्देश दिए गए कि डोर–टू–डोर कौलेक्शन एवं सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु अगर इलैक्ट्रिक वाहनों की आवश्यकता हो तो उसके लिए नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाए।
10. **निर्माण एवं विध्वंश अपशिष्ट (सी. एण्ड डी.) के चालान बारे**– इस बारे निर्देश दिए गए कि नगरपालिका क्षेत्र में अगर कोई उपभोक्ता भवन निर्माण एवं विध्वंश अपशिष्ट करता

पाया जाता है तो उसकी पहचान करके उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

11. **नागरिक शिकायत निवारण बारे**– अध्यक्ष महोदय ने सभी पालिकाओं को निर्देशित किया कि अपने–2 कार्य क्षेत्र में नागरिकों की सफाई व्यवस्था बारे शिकायत सुनने के लिए एक टोल फ्री नं0 जल्द से जल्द शुरू करवाएं तथा कार्यालय में शिकायत रजिस्टर/ शिकायत पेटिका रखवाना सुनिश्चित करें।
12. **प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध** – इस बारे सभी पालिकाओं को निर्देशित किया गया है अपने–अपने कार्य क्षेत्र में प्लास्टिक बैग पर पूर्णत्या प्रतिबंध करें एवं नियमानुसार चालान काटकर प्लास्टिक मुक्त शहर स्थापित करें।
13. **जगरूकता अभियान** – सभी पालिकाएं अपने–2 क्षेत्र में आमजन को कचरा प्रबंध एवं प्लास्टिक वेस्ट बारे सक्षम युवाओं तथा गैर सरकारी संस्थाओं का सहयोग लेकर जागरूक करें ताकि शहर को साफ सुथरा बनाया जा सके।
14. **घर–घर से कुड़ा उठाने बारे** – सभी पालिकाओं को निर्देश दिए गए हैं कि अपने कार्य क्षेत्र में घर–घर से कुड़ा–कचरा उठाना एवं पृथकीकरण करना सुनिश्चित करें एवं जिन पालिकाओं में अभी भी घर–घर से कुड़ा नहीं उठाया जा रहा है वह तत्काल प्रभाव से शुरू करवाना सुनिश्चित करें।

अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक का समापन करते हुए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि इस बारे में प्रत्येक 15 दिन के अन्तराल में बैठक का आयोजन किया जाएगा तथा यह बैठक प्रत्येक मास की 1 तारीख व 16 तारीख को की जाएगी। यदि किसी कारणवश इन तिथियों को अवकाश होता है तो अगले कार्यदिवस को बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक में लिए गए निर्णयों बारे मास के प्रत्येक सप्ताह रिपोर्ट भिजवाए जाने बारे निर्देश दिए गए।

अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित अधिकारियों का धन्यवाद करते हुए बैठक का समापन किया।

उपायुक्त, फतेहाबाद।

पृ0क्रमांक 1097-1116 /एल0एफ0 दिनांक : 16.4.2019

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़।
2. आयुक्त, हिसार मण्डल, हिसार।

3. जिला सत्र एवं न्यायाधीश, फतेहाबाद।
4. महानिदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा, पंचकुला।
5. पुलिस अधीक्षक, फतेहाबाद।
6. सिविल जज, जूनियर डिवीजन, फतेहाबाद।
7. अतिरिक्त उपायुक्त, फतेहाबाद।
8. नगराधीश, फतेहाबाद।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परषिद्, फतेहाबाद।
10. उप पुलिस अधीक्षक, फतेहाबाद।
11. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, फतेहाबाद
12. सिविल सर्जन, फतेहाबाद।
13. क्षेत्रीय अधिकारी, राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, हिसार।
14. कार्यकारी अधिकारी, नगरपरिषद्, फतेहाबाद / टोहाना।
15. सचिव, नगरपालिका रतिया / भूना / जाखल मण्डी।
16. नोडल अधिकारी, सी.एम.एम.यु. फतेहाबाद।
17. कुमार सौरभ, परियोजना प्रबंधक, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), नगरपरिषद्, फतेहाबाद।

उपायुक्त, फतेहाबाद।